

Gallery No.12/2, Jamnagar House Shahjahan Road, New Delhi – 110 011 Dated, the 14th February, 2017

To

The Director General National Test House, Sector-V, C.P. Block, Salt Lake, Kolkata-700091.

Subject: - Seventh Central Pay Commission's recommendations – revision of pay scales – Amendment of Recruitment Rules for Lower Division clerk, Upper Division Clerk and Stenographer Grade II in National Test House.

Sir,

I am directed to refer to Department of Personnel & Training O.M. No.AB-14017/13/2016-Estt. (RR) dated 9th August, 2016, on the above mentioned subject and to forward herewith copy of the Revised Recruitment Rules 2016 for the post of Lower Division clerk, Upper Division Clerk and Stenographer Grade II in National Test House duly notified in the Gazette of India, Part II, Section3, Sub Section(i) vide GSR No.5 dated 14.01.2017 for record and further necessary action. These Recruitment Rules are also available on the website of egazette.nic.in in the name of this Ministry.

(D.K.Sonker)
Deputy Director (NTH)
Tel No.23073612
E-mail: d.sonker@nic.in

Copy to:

- 1. Director/ scientist-In charge, All regional Branches, National Test House,
- 2. L-1, Legislative Department, Shastri Bhavan, New Delhi. (OL) & (English).
- 3. The Parliament Library, Parliament Annexe, Parliament Street, New Delhi(Two copies)
- 4. Guard files.



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 21

नई दिल्ली, जनवरी 8-जनवरी 14, 2017, शनिवार/पौष 18-पौष 24, 1938

No. 2]

NEW DELHI, JANUARY 8- JANUARY 14, 2017, SATURDAY/PAUSA 18-PAUSA 24, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)

द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम

(जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2017

सा.का.िन. 3.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, [मैकेनिक (उपकरण)/फाइन मैकेनिक] भर्ती नियम, 1989, को उन वातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, में फाइन मैकेनिक के पद पर भर्ती की पद्धति का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, फाइन मैकेनिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

01 GI/2017

appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age- limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised level in the pay matrix based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common level in the pay matrix and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

3	(12)	(13)
	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)	Consultation with Union
	consisting of :-	Public Service Commission
	1. Director Grade-II, National Test House : Chairman;	not necessary.
	2. Senior Most Scientist 'D', National Test House : Member;	
	3. Administrative Officer, National Test House : Member.	
		The second secon

[F. No. A -12018/01/2014-NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 5:— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला; अवर श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक और आशुलिपिक श्रेणी —2 (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 के अधिक्रमण में, उन वातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या लोग किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग राष्ट्रीय परीक्षण शाला, में अवर श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक और आशुलिपिक श्रेणी —2 के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातें हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में अवर श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक और आशुलिपिक श्रेणी –2 (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना:- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन-मैट्रिक्स में स्तर- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4: भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. निरर्हता: वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपवंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्तिः इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पै मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अवर श्रेणी लिपिक	35*(2017) (* कार्य- भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	2	स्तर-2	अचयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6) 18 से 27 वर्ष तक	(7)	(8) हां, स्तम्भ (10) में	(9) सीधी भर्ती के लिए
ाठ स 27 वर्ष तक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाती के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तय की जाएगी। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाले नियुक्ति के मामले में आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कह गया है।	(ii) कौशल परीक्षण मानक: कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)	उपदर्शित सीमा तक।	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में
पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता	वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या
	प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया
	जाएगा
(10)	(11)

(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	स्तम्भ (10) में यथा विवरणित।
(ii) रिक्तियों का 10% वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 के उन समूह-'ग' कर्मचारियों में से विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं या समकक्ष अर्हता रखते	
हैं और उसी श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं।	
टिप्पण 1: परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष है और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 50 वर्ष है।	,
टिप्पण 2: यदि खंड (ii) के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में कर्मचारी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं, कर्मचारियों की ऐसी अतिरिक्त संख्या बाद के वर्षों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को	
भरते के लिए विचार में ली जाएगी ताकि पहले की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर बाद की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके।	
(iii) रिक्तियों का पांच प्रतिशत उन वहुकार्य कर्मचारिवृंद (गैर तकनीकी) कर्मचारियों में से वरिष्ठता-सह-फिटनेस आधार पर भरी जाएगी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 वाले पदों पर	
3 वर्षों की नियमित सेवा की है।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:	लागू नहीं होता।
1. संबंधित क्षेत्र का ज्येष्ठतम वैज्ञानिक 'सी.' या प्रशासनिक अधिकारी : अध्यक्ष 2. अनुभाग अधिकारी, (राष्ट्रीय परीक्षण शाला), उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य	
 अनुमान आवकारा, (राष्ट्राय पराजण शाला), उपमाक्ता मामल विमान . सदस्य संबंधित क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकारी, श्रेणी –2 : सदस्य 	

(1)) (2)	(3)	(4)	100	(5)
2. उच्च लिपिक	श्रेणी 46* (2017) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' – अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-4		अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष तक	किसी मान्यताप्राप्त	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के	(i) 60 प्रतिशत
(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों	विश्वविद्यालय से		व्यक्तियों के	्रोन्नत <u>ि</u>
के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य वर्ग के	डिग्री या समतुल्य		लिए 2 वर्ष	द्वारा जिसके
अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष की आयु तक और	और कम्प्यूटर का			न हो सकने
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाती के अभ्यर्थियों	संचालन ज्ञान।			पर
की दशा में 45 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती				प्रतिनियुक्ति
है।)				द्वारा; और
टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक				(ii) 40 प्रतिशत
तारीख जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तय की जाएगी।				(॥) ४० प्रावशत सीधी भर्ती
टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाले				and the second second
नियुक्ति के मामले में आयु सीमा अवधारित करने की				द्वारा
निर्णायक तारीख वह होगी, जिस तारीख तक रोजगार			1889	
कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।				

	A SHOP THE STATE OF THE STATE O		1.00	ATT AND ADDRESS OF THE PARTY OF	_
	(11)	5.55			
प्रोन्नति:					

ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पणी 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पणी 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी जो:-

- (i) मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी अवर श्रेणी लिपिक या समतुल्य पर पर 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण-1 : पोषक श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार करने के योग्य नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्तिधारक, प्रोन्नति पर नियुक्ति हेतु विचार करने के योग्य नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल विना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)		(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नि	लेखित होंगे:-	लागू नहीं होता।
1. संबंधित क्षेत्र का ज्येष्ठतम वैज्ञानिक 'सी.' या प्रशासनिक अधिकारी	: अध्यक्ष	
2. अनुभाग अधिकारी, (राष्ट्रीय परीक्षण शाला), उपभोक्ता मामले विभाग	: सदस्य	
3. संबंधित क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकारी, श्रेणी –2	: सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. आशुलिपिक	04* (2017) (* कार्यभार के आधार पर	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' –	स्तर-4	लागू नहीं
श्रेणी-2	परिवर्तन किया जा सकता है।)	अराजपत्रित, अनुसचिवीय	EML "	होता।

(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 27 वर्ष तक (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाती के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख जो	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समतुल्य। (ii) कौशल परीक्षण मानक: श्रुतलेख – प्रति मिनट 80 शब्द की गति से 10 मिनट का।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तय की जाएगी।	(iii) प्रतिलेखन: कम्प्यूटर पर 50 मिनट	
	(अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी)	

(10)	(11)
शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से।	लागू नहीं।
टिप्पण: पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किंही अन्य परिस्थितियों में एक वर्षा या	
इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों केंद्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से, है जो	
नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों और जिनके पास स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	
लिए विहित अईताएं हों, प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएगी।	

(12)			(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलि	खित होंगे:-		लागू नहीं होता।
1. संबंधित क्षेत्र का ज्येष्ठतम वैज्ञानिक 'सी.' या प्रशासनिक अधिकारी	: अध्यक्ष	- 1	
2. अनुभाग अधिकारी, (राष्ट्रीय परीक्षण शाला), उपभोक्ता मामले विभाग	: सदस्य		
3. संबंधित क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकारी, श्रेणी -2	: सदस्य		

[फा.सं. ए-12018/5/2013-एन.टी.एच.(स्थापना)]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन.टी.एच.)

New Delhi, the 10th January, 2017

G.S.R. 5.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, National Test House, Lower Division Clerk, Upper Division Clerk and Stenographer Grade—II (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2014 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Lower Division Clerk, Upper Division Clerk and Stenographer Grade—II in the National Test House, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, National Test House, Lower Division Clerk, Upper Division Clerk and Stenographer Grade II (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application. These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of post, classification and level in the pay matrix.-The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
- 4. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc. The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Disqualifications.- No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes; the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix.	Whether selection or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Lower Division Clerk	35* (2017) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Ministerial.	Level 2	Non-selection

		Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		
	(6)	(7)	(8)		
(Relaxable for age of forty Candidates an Candidates be and the Schedinstructions of Government) Note 1: The age-limit sha Selection Com Note 2: In cathrough Empl date for deter date upto whi	d 27 years of age Government servants up to the years in case of General d forty-five years in case of longing to the Scheduled Castes ale Tribes in accordance with the rorders issued by the Central crucial date for determining the ll be as fixed by the Staff mission. se of the appointment to be made loyment Exchange, the crucial mining the age limit shall be last ich the Employment Exchange is nit the names.		of 35 rords (35 per Key Key		
	Method of recruitment whether b	y direct recruitment or by promotion percentage of the vacancies to be	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.		
(9)		(10)	(11)		
Two years fo					

If Departme	arising in the subsequent year earlier examination are considexamination. (iii) five per cent of the vac fitness basis from Multi-Tas rendered three years' regular matrix.	dered before those v cancies shall be fill sking Staff (Non-Te service in the post	who qued on chnical in level	alify at a later seniority-cum- l) who have el 1 in the pay	which	Union Pu	ublic Service
composition			Comm	nission is to be o	consulted	l in making r	ecruitment
	(12)	- 1242			(13)	
Promotion 1. Seniorr Officer 2. Section Consur	tal Promotion Committee ((fo and confirmation) consisting nost Scientist C of the Region Officer (National Test House) ner Affairs strative Officer Grade II of the	of: or Administrative - Chairperson , Department of - Member		1	Not appl	icable.	
(1)	(2)		(3)			(4)	(5)
2. Upper Division Clerk	46*(2017) *Subject to variation dependant on workload	General Central S Non – Gazetted,			Level	4	Non- selection
Can have	(6)		- 1	(7)		(8)	(9)
(Relaxable case of G Candidates Tribes in a Central Go Note 1 : T fixed by th Note 2 Employme limit shall	and 27 years of age for Government servants up to eneral Candidates and forty-belonging to the Scheduled ecordance with the instructions vernment) he crucial date for determining e Staff Selection Commission. In case of the appointment Exchange, the crucial date be the last date up to which the submit the names.	five years in cas Castes and the Schr s or orders issued b the age-limit shall nt to be made the for determining the	se of edule by the be as rough age-	Degree from recognised U sity or equ with w knowledge computer.	Jniver-	Not applicable	Two years for direct recruits

(10)	(11)
(i). 60% by promotion failing which by deputation; and	Promotion:- Lower Division Clerk in the level 2 in the pay matrix with eight years' regular service in the grade.
(ii). 40% by direct recruitment.	Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, which ever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
	Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 st January, 2016 or the date from which the revised level in the pay matrix based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation: Officials from the Central or State Governments or Union Territories:

- holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;
 or
- (ii) with eight years regular service as Lower Division Clerk in the level 2 in the pay matrix or equivalent after appointment thereto.

Note 1: The departmental officials in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government, shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be, not exceeding fifty- six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised level in the pay matrix based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common level in the pay matrix and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	, and the second second	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering F confirmation) consisting of: 1. Seniormost Scientist C of the Region or Administrative (2. Section Officer (National Test House), Department of	The state of the s	Not applicable.
Consumer Affairs 3.Administrative Officer Grade II of the region	- Member - Member	

	(2)	Al	(3)	(4)		(5)	the se
i. Stenographer Grade – II.	04*(2017) *Subject to variation dependant on workload	Servi 'C', I Gaze	ral Central ce, Group Non – tted, sterial	Level 4		Not applicat	le
energia de la comoción de la comoció	(-6)	See at	A	(7)	Coled :	(8)	(9)
in case of General case of candidate Castes or the Schrinstructions or Government).	vernment servants up to 40 al Candidate and 45 years is uses belonging to the Scheeduled Tribes in accordance orders issued by the Calcial date for determining the fixed by the Staff Selection	years in the duled with entral	recognised Bo (ii) Skill test r @80 words pe (iii) Transcrip	pass or equivalent from ard or University; norms: Dictation: 10 min r minute; ption: 50 minutes (English i) on Computer.	utes	Not applicable	years

100% by direct recruitment through Staff Selection Commission.

Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of Central Government holding analogous post on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column (7).

Not applicable

(12)		(13)
Departmental Promotion Committee (for considering consisting of :	confirmation)	Not applicable
1. Seniormost Scientist C of the Region or Administrative	Officer - Chairperson	
2. Section Officer (National Test House), Department of		
Consumer Affairs	- Member	
3.Administrative Officer Grade II of the region	- Member	

[F. No. A-12018/5/2013-NTH(Estt.)]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 6.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (गैर-तकनीकी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजिनक वितरण मंत्रालय के राष्ट्रीय परीक्षण शाला में बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (गैर-तकनीकी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय, बहुकर्मचारिवृन्द (गैर-तकनीकी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और बेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता: वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपवंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।